



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112025-267968
CG-DL-E-26112025-267968

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5227]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 26, 2025/ अग्रहायण 5, 1947

No. 5227]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 26, 2025/ AGRHAYANA 5, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5403(अ).—केंद्रीय सरकार, आप्रवास एवं विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 2 के खंड (ग) के अनुसरण में, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3991(अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- क्रम संख्या 2 के खिलाफ, कॉलम (3) में, प्रविष्टि "चंडीगढ़" का लोप किया जाएगा;
- क्रम संख्या 7 के सामने, कॉलम (3) में, "हरियाणा" और "राजस्थान" प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- सीरियल नंबर 9 के खिलाफ, कॉलम (3) में, प्रविष्टि "असम" का लोप किया जाएगा;
- क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्:—

“13.	विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, जयपुर	राजस्थान
14.	विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा
15.	विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, गुवाहाटी	असम”

[फा. सं. 25022/14/2022-आईएमएम]

नितेश कुमार व्यास, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5403(E).—In pursuance of clause (c) of section 2 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025), the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O.3990(E), dated the 1st September, 2025, namely:-

In the said notification, in the Table,—

- (i) against serial number 2, in column (3), the entry “Chandigarh” shall be omitted;
- (ii) against serial number 7, in column (3), the entries “Haryana” and “Rajasthan” shall be omitted;
- (iii) against serial numbers 9, in column (3), the entry “Assam” shall be omitted;
- (iv) after serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

“13.	Foreigners Regional Registration Officer, Jaipur	Rajasthan
14.	Foreigners Regional Registration Officer, Chandigarh	Chandigarh, Haryana
15.	Foreigners Regional Registration Officer, Guwahati	Assam”

[F. No. 25022/14/2022-Imm]

NITESH KUMAR VYAS, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2025

का.आ. 5404(अ).—केंद्रीय सरकार, आप्रवास एवं विदेशी विषयक अधिनियम, 2025 (2025 का 13) की धारा 2 के खंड (द) के अनुसरण में, भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3991(अ), दिनांक 1 सितम्बर, 2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,—

- (i) क्रम संख्या 2 के खिलाफ, कॉलम (3) में, प्रविष्टि “चंडीगढ़” का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 7 के सामने, कॉलम (3) में, “हरियाणा” और “राजस्थान” प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (iii) सीरियल नंबर 9 के खिलाफ, कॉलम (3) में, प्रविष्टि “असम” का लोप किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ डाली जाएंगी, अर्थात्:—

“13.	विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, जयपुर	राजस्थान
14.	विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, चंडीगढ़	चंडीगढ़, हरियाणा
15.	विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, गुवाहाटी	असम”

[फा. सं. 25022/14/2022-आईएमएम]

नितेश कुमार व्यास, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th November, 2025

S.O. 5404(E).—In pursuance of clause (r) of section 2 of the Immigration and Foreigners Act, 2025 (13 of 2025), the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3991(E), dated the 1st September, 2025, namely:—

In the said notification, in the Table,—

- (i) against serial number 2, in column (3), the entry “Chandigarh” shall be omitted;
- (ii) against serial number 7, in column (3), the entries “Haryana” and “Rajasthan” shall be omitted;
- (iii) against serial numbers 9, in column (3), the entry “Assam” shall be omitted;
- (iv) after serial number 12 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

“13.	Foreigners Regional Registration Officer, Jaipur	Rajasthan
14.	Foreigners Regional Registration Officer, Chandigarh	Chandigarh, Haryana
15.	Foreigners Regional Registration Officer, Guwahati	Assam”

[F. No. 25022/14/2022-Imm]

NITESH KUMAR VYAS, Addl. Secy.